ई–मेल– cd2pwdpbh@gmail.com
मो0– 9335714226,7355614648

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़

पत्रांक : 2053/18एम/2023 दिनांक : 02/09/2023

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली
ई–मेल– judicial-ngt@gov.in

विषय : मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेच नई दिल्ली (ओरिजल प्रार्थना–पत्र न0–44/2022) योजित निष्पादन प्रार्थना पत्र सं0–24/2023 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के क्रम में प्रतिपक्षी संख्या 03एवं 04 की ओर से दाखिल होने वाले प्रतिशपथ–पत्र के सम्बंध में।

संदर्भ: विशेष सचिव लोक निर्माण अनुभाग–14 उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 1240/तेइस–14–2023–15 जनरल/2020 दिनांक 01.09.2023 एवं श्री हर्षित श्रीवास्तव एडवोकेट, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र दिनांक 09.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच नई दिल्ली में योजित वाद संख्य ओरिजनल प्रार्थना–पत्र न0 44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के क्रम में अधिवक्ता के माध्यम से लो0नि0वि0 से सम्बंधित बिन्दुओं पर विभाग का उत्तर/पक्ष अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 06.09.2023 से पूर्व प्रस्तुत कराये जाने के सम्बंध में जारी किया गया है।

उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष योजित निष्पादन प्रार्थना पत्र सं0– 24/2023 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के सम्बंध में प्रतिपक्षी संख्या–3 एवं 4 से सम्बंधित (अनुभाग–14, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अनुमोदित) प्रस्तरवार तथ्यवर्णन ई–मेल द्वारा मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं श्री हर्षित श्रीवास्तव एडवोकेट मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– अनुमोदित प्रस्तरवार तथ्यवर्णन अनुसलग्नकों सहित।

02/09/23

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
प्रतापगढ़

पत्रांक : /18एम/2023 दिनांक :02/09/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 संयुक्त सचिव लोक निर्माण अनुभाग–14 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2 मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
3 मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0 प्रयागराज।
4 अधीक्षण अभियन्ता प्रतापगढ़/फतेहपुर वृत्त, लो0नि0वि0 प्रतापगढ़।
5 सहायक अभियन्ता (वाद) को इस निर्देश से प्रेषित की दिनांक 06.09.2023 से पूर्व मा0 ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भित वाद में अनुपालन आख्या दाखिल करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0
प्रतापगढ़

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
समयबद्ध / महत्वपूर्ण
156

संख्या– 1240 /तेइस–14–2023–15जनरल/2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–14 लखनऊ : दिनांक– 01 सितम्बर, 2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना–पत्र संख्या–24/2023 (ओरिजनल प्रार्थना–पत्र नं0–44/2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में परित आदेश दिनांक 07.08.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0–2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या–2847 व्यग/एनजीटी–7, दिनांक 29.08.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–2, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ के पत्र सं0–2044/18एम/2023 दिनांक 01.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में प्रस्तरवार तथ्यवर्णन/अतिरिक्त कथन अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में उक्त संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रस्तरवार तथ्यवर्णन/अतिरिक्त कथन अनुमोदनोपरान्त मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में विभाग की ओर से नियमानुसार प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर ससमय दाखिल कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 1240 (1)/तेइस–14–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता (मु0–2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
2– मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज ।
3– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़।
4– अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–2, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़।

आज्ञा से,
01/09/2023
(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग,लखनऊ
व्यवस्थापन (ग) वर्ग

पत्रांकः—2847 व्यग / एनजीटी—7

दिनांक—29/8 /2023

सेवा में,

अनु सचिव,
लो0नि0अनु0—14,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः—मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना—पत्र संख्या—24 / 2023 (ओरिजनल प्रार्थना—पत्र नं0—44 / 2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के सम्बन्ध में।

संदर्भः—मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज का पत्रांक—7198 / 34को0के0—प्र0क्षे0 / 2023 दिनांक 28.08.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना—पत्र संख्या—24 / 2023 (ओरिजनल प्रार्थना—पत्र नं0—44 / 2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के क्रम में प्रतिपक्षी संख्या—3 व 4 की ओर से प्रतिशपथ—पत्र दाखिल कराने से संबंधित प्रस्तरवार तथ्यवर्णन हस्ताक्षरोपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज के संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्राप्त तथ्यवर्णन विधि अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के परीक्षणोपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(राम नाथ सिंह)
मुख्य अभियन्ता(मु0—2)
लो0वि0नि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—2, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि किसी भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित करें कि विषयगत प्रकरण में शासन से सम्पर्क स्थापित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

श्री गिरीश
29/8/23

मुख्य अभियन्ता(मु0—2)
लो0वि0नि0 लखनऊ

Arunesh 1001

कोर्टकेस / अतिमहत्वपूर्ण
सुनवाई तिथि 04.09.2023

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
प्रयागराज

पत्रांक-7198 / 34को0के0-प्र0क्षे0 / 2023

सेवा में,

दिनांक 28 / 08 / 2023

वरिष्ठ स्टॉफ आफीसर(ई0-3),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
व्यवस्थापन "ग" वर्ग,
लो0नि0वि0, लखनऊ।

विषय-मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना-पत्र सं0-24 / 2023 (ओरिजनल प्रार्थना-पत्र नं0-44 / 2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-शासन का पत्रांक-1194 / तेइस-14-2023-15(जनरल) / 2020 दिनांक 18.08.2020 एवं आपका पत्रांक -488व्यगशा / एनजीटी-7 दिनांक 18.08.2023 एवं अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ का पत्रांक-4485 / 135ई0सी0सी0-प्र0फ0वृ0 / 2023 दिनांक 24.08.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ ने विषयगत मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना-पत्र सं0-24 / 2023 (ओरिजनल प्रार्थना-पत्र नं0-44 / 2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के क्रम में प्रतिपक्षी सं0-03 एवं 04 की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराने से सम्बन्धित प्रस्तरवार तथ्यवर्णन हस्ताक्षरोपरान्त तीन प्रतियों में संलग्नकर इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त प्रस्तरवार तथ्यवर्णन दो प्रतियों में संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-तथ्यवर्णन दो प्रतियों में।

847व्यगशा
29/8/23

(विजय कनौजिया)
मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

पत्रांक- / 34को0के0-प्र0क्षे0 / 2023 दिनांक / 08 / 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **अधीक्षण अभियन्ता**(वाद), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. **अधीक्षण अभियन्ता**, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
3. **अधिशासी अभियन्ता**, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि **किसी भिज्ञ अधिकारी / कर्मचारी** को निर्देशित करें कि वे विषयक तथ्यवर्णन इस कार्यालय से रिसीवकर **प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को** प्राप्त कराते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0,
प्रयागराज

श्री अरुणेश
29.8.23

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) नई दिल्ली के समक्ष योजित निष्पादन प्रार्थना पत्र (Execution Application) सं0–24/2023 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी सं0–3 एवं 4 से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत् है:–

1. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र सं0–44/2022 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य गाय घाट रोड पर सई नदी तक जल निकासी हेतु नाला बनाने एवं स्कूल में गन्दें नाले का पानी इकट्ठा होने के सम्बन्ध में उसकी निकासी करने आदि का अनुतोष प्रदान करने हेतु दाखिल किया गया थां।

2. यह कि मूल प्रार्थना पत्र सं0–44/2022 पर, मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में समुचित ड्रेनेज आदि का निर्माण कराने हेतु अंतिम आदेश पारित किये गये। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 का क्रियाशील भाग निम्नवत् है:–

> 7 Report of the Executive Officer, Municipal Council, Bela, Pratapgarh addressed to the Applicant College is that reason for blocking of the drain was illegal construction.
>
> 8 On due consideration of the issue, we find it difficult to accept the stand that the college is required to take CTE/CTO or to install STP. Remedial action needs to be taken to complete the drain and to prevent and control of water logging by the District Magistrate, Pratapgarh and the Municipal Council, Pratapgarh. The Applicant College or other stake holders may also be associate in the process. Budget is not our concern which is to be dealt with by the concerned authorities, environment protection being absolute liability of the State.

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–2, लो०नि०वि०
प्रतापगढ़

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

9 Remedial measures for proper drainage and carrying sewage and sullage to the STP. Avoiding inundation and such other areas as may be found necessary may accordingly be planned and executed under the supervision of the District Magistrate and action taken report furnished to the Secretary, Urban Development, UP. The Applicant College will be at liberty to move the District Magistrate and the Sceretary Urban Development for redressal of any further grievance. The IA and the main matter are disposed of.

आदेश दिनांक **01.07.2022** की छायाप्रति संलग्न है जिस पर अनुसंलग्नक सं0–1 डाला गया है।

3. यह कि मूल प्रार्थना पत्र सं0–44/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 के अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में, याची द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष निष्पादन प्रार्थना पत्र सं0–24/2023 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य योजित की गई जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2023 (संशोधित आदेश दिनांक 09.08.2023) द्वारा प्रतिपक्षी सं0–2 से 6 को नोटिस जारी करने आदि से सम्बन्धित आदेश पारित किए गए। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 (संशोधित आदेश दिनांक 09.08.2023) का क्रियाशील भाग निम्नवत् है:–

6 Issue notice to the respondent nos 2 to 6, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply/action taken report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of scarchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Action taken report by the State PCB must be filed before the date of listing.

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
प्रतापगढ

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

7 Application is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

8 Application is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Respondent Nos 2 to 6 within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the respondents(s).

9 List the matter on 06.09.2023.

10 In the meantime, State PCB is directed to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the open land or the waterbody and in case of any violation, environmental compensation must be assessed and realized in accordance with the parameters laid down by NGT and CPCB in addition to punitive legal actions in accordance with law.

आदेश दिनांक 07.08.2023 (संशोधित आदेश दिनांक 09.08.2023) की छायाप्रति संलग्न है जिस पर अनुसंलग्नक सं0–2 डाला गया है।

4. यह कि मूल प्रार्थना पत्र 44/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र सं0–1830/एल0बी0सी0–2023 दिनांक 14.07.2023 द्वारा प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 से जल निकासी योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद बलेहा प्रतापगढ़ में गाय घाट मार्ग पर सोमवंशी आटा चक्की के सामने से साकेत डिग्री कालेज के आगे तक जल निकासी प्रबंधन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। पत्र दिनांक 14.07.2023 की प्रति

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
प्रतापगढ़

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

अनुसंलग्नकों सहित संलग्न है जिस पर अनुसंलग्नक सं0–3 डाला गया है।

5. यह कि उक्त प्रस्तर–4 में वर्णित जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्रांक 1830/एल0बी0सी0–2023 दिनांक 14.07.2023 के उपरान्त कार्यालय नगर पालिका परिषद बेलहा प्रतापगढ़ के पत्र सं0–508/न0पा0परि0–2023/जल निकायी दिनांक 10.07.2023 द्वारा प्राचार्य साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज प्रतापगढ़ को सूचित किया गया कि प्रकरण शासन को प्रेषित किया जा चुका है तथा शासन द्वारा धन अवमुक्त/आवंटित होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा कार्य कराया जाएगा। पत्र दिनांक 10.07.2023 की छायाप्रति संलग्न है जिस पर अनुसंलग्नक सं0–4 डाला गया है।

6. यह कि उक्त प्रस्तर–5 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त/आवंटित होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य, कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा कराया जाना है तथा मूल प्रार्थना पत्र 44/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 तथा निष्पादन प्रार्थना पत्र 24/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपक्षी सं0–3 एंव 4 द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि याची द्वारा प्रतिपक्षी सं0–3 एवं 4 को अनावश्यक रूप से, उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिपक्षीगण 3 एवं 4 उक्त वाद से निर्मुक्त किये जाने योग्य है।

Vetted as per Available Records

(मन विजय)
विधि अधिकारी
प्रयागराज क्षेत्र, लो0 नि0 वि0
प्रयागराज

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़

(एन. के. यादव)
अधीक्षण अभियन्ता,
प्रतापगढ़/फतेहपुर वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़

मुख्य अभियन्ता,
प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज

विधि अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

1240/2314-823

ई–मेल द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़

पत्रांकः– 2054/18 M/2023 दिनांकः– 01/09/23

सेवा में,

अनु सचिव
लो0नि0अनु0–14
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित निष्पादन प्रार्थना–पत्र संख्या– 24/2023 (ओरिजनल प्रार्थना–पत्र न0–44/2022) साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08. 2023 में अतिरिक्त कथन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– **मुख्य अभियन्ता(मु0–2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व्यवस्थापन (ग) वर्ग के पत्रांक 2847 व्यग/एनजीटी–7 दिनांक 29.08. 2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में सम्बंध अतिरिक्त कथन सलग्नक कर ई–मेल द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
प्रतापगढ़

पत्रांकः– दिनांकः–
प्रतिलिपिः .सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
प्रतापगढ़

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) नई दिल्ली के समक्ष योजित निष्पादन प्रार्थना पत्र (Execution Application) सं0–24/2023 साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी सं0–3 एवं 4 से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत् है:–

अतिरिक्त कथन

1. यह कि मूल प्रार्थना पत्र 44/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र सं0–1830/एल0बी0सी0–2023 दिनांक 14.07.2023 द्वारा रू 1187.63 लाख की कार्ययोजना प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 से जल निकासी योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ में गाय घाट मार्ग पर सोमवंशी आटा चक्की के सामने से साकेत डिग्री कालेज के आगे तक जल निकासी प्रबंधन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। उपरोक्त धनराशि स्वीकृत होने के बाद कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा कार्य कराया जायेगा।

2. यह कि प्रकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त/आवंटित होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य, कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा कराया जाना है तथा मूल प्रार्थना पत्र 44/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2022 तथा निष्पादन प्रार्थना पत्र 24/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. यह कि उपरोक्त कार्य की कार्ययोजना श्री अनिल जायसवाल अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 प्रतापगढ़ द्वारा तैयार कराई गई है जो नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में कार्यालय आदेश संख्या 410/एल0बी0सी0–2022 दिनांक 11 मार्च 2022 द्वारा अटैच किया गया है। अतः उपरोक्त कार्य में लोक

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
प्रतापगढ़

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। आदेश दिनांक 11.03.2022 की छायाप्रति संलग्न है जिसपर अनुसंलग्नक संख्या –1 डाला गया है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
प्रतापगढ़

Ashutosh
Law Officer

(नीरजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक : 4-10 /एल0वी0सी0-2022

दिनांक : मार्च 11, 2022

आदेश

नगर पालिका परिपद बेल्हा, प्रतापगढ़ एवं अन्य निकायों में सम्बद्ध किये गये लोक निर्माण विभाग के सहायक/अवर अभियन्ता श्री डी0पी0 अग्रवाल के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका परिपद बेल्हा द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2022 के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित सिविल निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण व क्रियान्वयन हेतु श्री अनिल कुमार जायसवाल, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को नामित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश दिनांक : 25 जनवरी, 2011 में दिये गये निर्देश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या : 1030, दिनांक 04 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या : 1069, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या : 147, दिनांक 29 जुलाई, 2021 के माध्यम से निकायों में अवर अभियन्ता नामित करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है किन्तु अभी तक शासन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

अतः कार्य की महत्ता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत जनपद के नगरीय निकायों में शासन स्तर से अवर अभियन्ता नामित होने तक के लिये कार्यहित में नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत जनपद के नगर निकायों (लालगंज को छोड़ कर) में सिविल निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण हेतु श्री अनिल कुमार जायसवाल, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को नामित/अधिकृत किया जाता है। श्री जायसवाल अपने मूल पद के कार्यों के साथ जनपद के नगरीय निकायों में भी निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण करेंगे। इस हेतु श्री जायसवाल को अलग से कोई वेतन या भत्ता देय नहीं होगा।

(डा0 नितिन बंसल)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, लखनऊ
2. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, प्रतापगढ़।
3. अधिशापी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़।
4. श्री अनिल कुमार जायसवाल, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका परिपद/नगर पंचायत, प्रतापगढ़।
6. अन्य समस्त सम्वन्धित।

11/3/22

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।